न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2023 / 155
दायरा तिथि : 16.08.2023
आदेश तिथि : 20-01-2025
प्रार्थीगण :–

1. श्री नथाराम पुत्र जोधाजी जाति सीरवी
2. उमाराम पुत्र समाराम उर्फ चमनाराम जाति सीरवी
3. डोवाराम पुत्र समाराम उर्फ चमनाराम जाति सीरवी
   निवासी बाली जिला पाली राज.

ब ना म

अप्रार्थीगण :–

1. श्री इन्दाराम दत्तक पुत्र केसारामजी, कमला, गीता, मंजू, मोवनी, लेहरकी, सुखी, पुत्रीया केसाराम
2. सुजाराम व सकाराम पुत्र जसाराम, धापू पुत्री जसारामजी, जसकीबाई पत्नि जसारामजी
3. पकाराम, रूपाराम, वेलाराम पुत्रगण भैरारामजी जातिगण सीरवी निवासी बेरा रेलीवाला बाली जिला पाली राज.

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश दिनांकः 20-01-2025

प्रार्थीगण ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम बाली पटवार हल्का बाली तहसील बाली के खसरा नंबर 2833 रकबा 1.0400 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थीगण की निजी खातेदारी भूमि ग्राम बाली पटवार हल्का बाली तहसील बाली के खसरा नंबर 2834 रकबा 1.0500 हैक्टर व खसरा नंबर 2835 रकबा 1.2000 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा मे लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली व भू.अ.निरीक्षक, बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, बाली ने जांच कर पत्रांक क्रमांक/राजस्व/2024/863 दिनांक 28.06.2024 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1. यह है कि आवेदक(खातेदार) की धारित भूमि में आवागमन हेतु प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नही है।
2. यह है कि प्रस्तावित रास्ता खसरा नंबर 2836 गै.मु.रास्ते से श्रीमानजी के पत्रांक /कोर्ट/रास्ता/2024/463 दिनांक 23.08.2023 की पालना मे खसरा नंबर 2832 में प्रस्तावित रास्ता से जोडते हुये ग्राम बाली के खसरा नंबर 2835 व 2834 में प्रस्तावित किया गया जो कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि से न्यूनतम दूरी पर स्थित है।
3. यह है कि ग्राम बाली में रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	2834	1.05 हैक्टर	चा. दो. जा. दो.	40X4=160 वर्गमीटर	1.ईदाराम दत्तक पुत्र केसाराम हि. 1/40 2.कमला पुत्री केसाराम हि. 3/100 3.गीता पुत्री केसाराम हि. 3/100
	2834	1.20 हैक्टर	चा. दो. जा. दो.	42X4=168 वर्गमीटर	

3

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

					4.जराकी पत्नि जसाराम हि. 1/20 5.धापू पुत्री जसाराम हि. 1/20 6.पकाराम पुत्र भेराराम हि. 1/5 7.गंजु पुत्री केसाराम हि. 3/100 8. गोवनी पुत्री केसाराम हि. 3/100 9. रूपाराम पुत्र भेराराम हि. 1/5 10.लेहरकी पुत्र भेराराम हि. 3/10 11.वेलाराम पुत्र भेराराम हि. 1/5 12.सकाराम पुत्र जसाराम हि. 1/20 13.सुखी पुत्री केसाराम हि. 3/100 14.सुजाराम पुत्र जसाराम हि. 1/20 सिरवी सा देह खातेदार

4. यह कि भू. अ. निरीक्षक बाली की रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित भूमि की पंजीयन कार्यालय अनुसार डी.एल.सी. दर 12,58,670 रू/– रूपये प्रति हैक्टर है।
5. यह है कि प्रस्तावित रास्ते हेतू उपयोग में आने वाले भू–भाग पर निर्माण कार्य, अन्य कोई क्षति नहीं है।

प्रकरण मे अप्रार्थीगण को नोटिस जारी होने के पश्चात अप्रार्थीगण सं. 1 द्वारा वकील जगमोहन मेघवाल ने वकालातनामा पेश किया किंतु जवाब आदिनांक तक पेश नही किया है लिहाजा इनका जवाब अवसर बंद किया जाता है। शेष समस्त अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील के आदिनांक तक वकालतन/असालतन अनुपस्थित रहने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम बाली पटवार हल्का बाली तहसील बाली के खसरा नंबर 2833 रकबा 1.0400 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार, बाली ने जांच कर क्रमांक/राजस्व/2024/863 दिनांक 28.06.2024 से आवेदित रास्ता दिये जाने की रिपोर्ट पेश की है। अतः तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में प्रार्थीगण द्वारा आवेदित रास्ता दिया जाना ही न्यायसंगत है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमॉक:प.3(52) राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम बाली पटवार हल्का बाली तहसील बाली के खसरा नंबर 2833 रकबा 1.0400 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थीगण की निजी खातेदारी भूमि ग्राम बाली पटवार हल्का बाली तहसील बाली के खसरा नंबर 2834 रकबा 1.0500 हैक्टर व खसरा नंबर 2835 रकबा 1.2000 हैक्टर में से **328 वर्गमीटर** रास्ता हेतु नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **भू.अ.निरीक्षक, वृत्त बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,बाली

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिय प्रभावित क्षैत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 12,58,670 /–रूपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
2834	1.05 हैक्टर	40X4=160 वर्गमीटर	126	20160X2=40320	1.ईंदाराम दत्तक पुत्र केसाराम हि. 1/40 2.कमला पुत्री केसाराम

Scanned with CamScanner

2834	1.20 हैक्टर	42X4=168 वर्गमीटर	126	21168X2=42336	हि. 3/100 3.गीता पुत्री केसाराम हि. 3/100 4.जराकी पत्नि जराराम हि. 1/20 5.धापू पुत्री जसाराम हि. 1/20 6.पकाराम पुत्र भेराराम हि. 1/5 7.गंजु पुत्री केसाराम हि. 3/100 8. मोवनी पुत्री केसाराम हि. 3/100 9. रूपाराम पुत्र भेराराम हि. 1/5 10.लेहरकी पुत्र भेराराम हि. 3/10 11.वेलाराम पुत्र भेराराम हि. 1/5 12.सकाराम पुत्र जराराम हि. 1/20 13.सुखी पुत्री केसाराम हि. 3/100 14.सुजाराम पुत्र जसाराम हि. 1/20 सिरवी सा देह खातेदार

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार राशि 82656/– (अक्षरे बयासी हजार छः सौ छप्पन रूपयें मात्र) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि अप्रार्थीगण को अदा की जायेगी। अप्रार्थीगण द्वारा राशि नही लिये जाने की दशा में प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। निरीक्षक भू–अभि. बाली द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(दिनेश बिश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

क्रमांक/कोर्ट/2025/48-52
दिनांक : 21-01-25

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः–

1. तहसीलदार, बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें।
2. निरीक्षक भू0अ0 बाली
3. पटवारी हल्का, बाली
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक श्री नथाराम पुत्र जोधाजी जाति सीरवी निवासी बेरा रेलीवाला बाली जिला पाली राज. वगैरा को सूचनार्थ।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

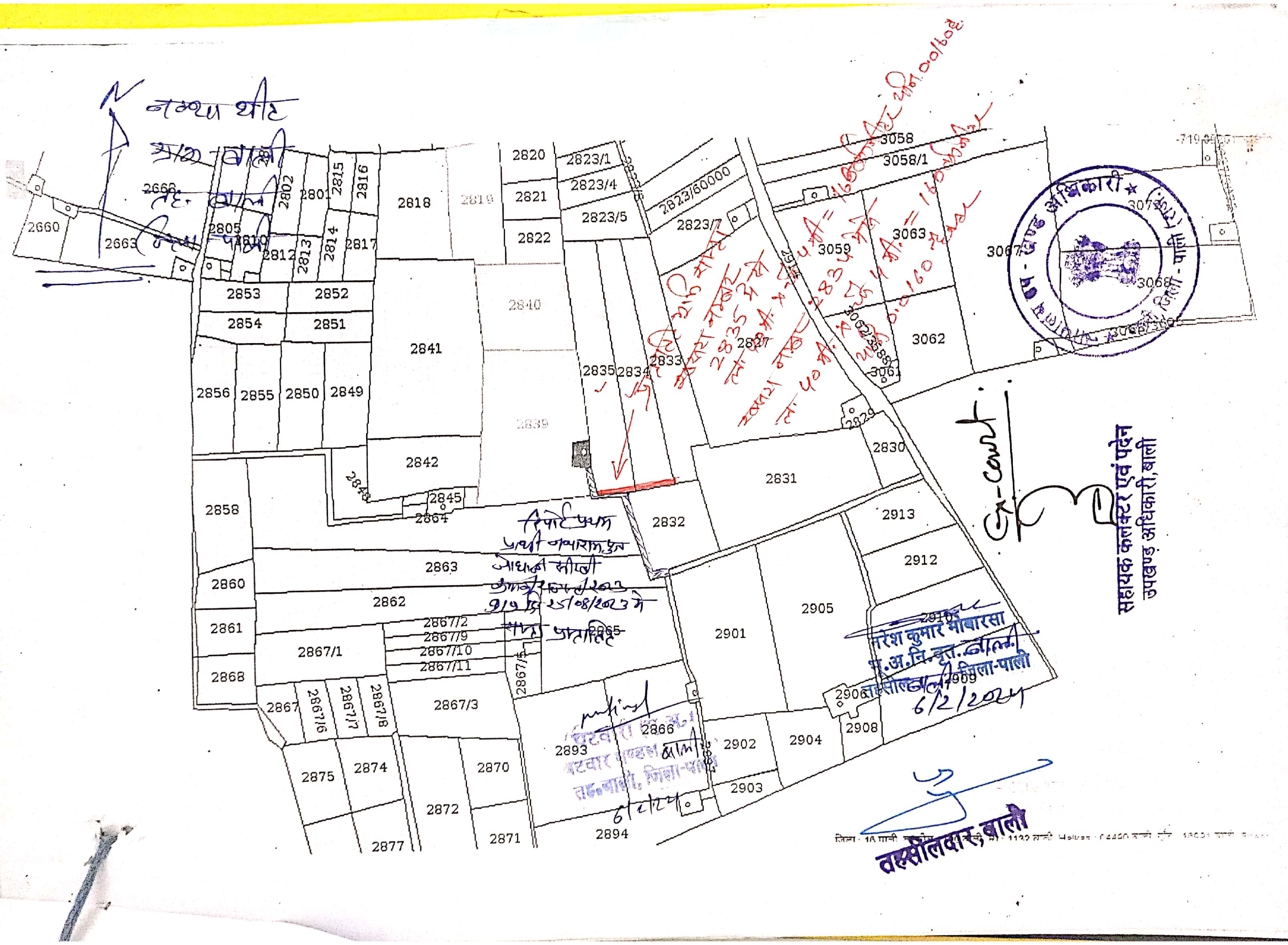

Scanned with CamScanner